Received through Mail by 4:10 PM

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(मुख्य सचिव कोषांग)

मुख्य सचिव का कोषांग
07 OCT 2025
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

9.10.25

पत्रांकः– 214/जी० मु०स०

दिनांकः– 07/10/2025

प्रेषक,

डॉ0 संजय कुमार लाल
मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव
सभी प्रधान सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
बिहार, पटना

विषयः– आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2025 दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के अनुपालन में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा मुख्य सचिव को या मुख्य सचिव के माध्यम से उच्चतर स्तर पर पृष्ठांकित की जाने वाली संचिका के साथ यह प्रमाण पत्र देंगे कि प्रस्ताव आदर्श आचार संहिता से आच्छादित नहीं है ।

उक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्रांक में दिये गये निदेश के अनुसार ही मुख्य सचिव या मुख्य सचिव के माध्यम से उच्चतर स्तर पर भेजे जाने वाली संचिका/प्रस्ताव प्रमाण–पत्र के साथ ही पृष्ठांकित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

(डॉ0 संजय कुमार लाल)
मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी

अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल–1
डायरी नं० 4286
दिनांक 10.10.25

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
प्र०स०प्रे०सं० 8093
दिनांक 07/10/25

डायरी सं० 5613
दिनांक 9.10.2025
मु० अभि० यो० एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, पटना

4152
09/10/25